न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या- 2025/219

1. लटूर लाल पुत्र स्व. धन्ना लाल मीणा
2. कान्ही बाई पुत्री स्व. धन्ना लाल मीणा
3. तेजपाल पुत्र रामकिशन मीणा
4. खुशीराम पुत्र रामकिशन मीणा
5. सुनीता बाई पुत्री रामकिशन
6. कंचन बाई बेवा रामकिशन मीणा
   निवासीगण ग्राम दरबीजी, तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. राजाराम पुत्र धन्नालाल निवासी ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद, जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर–84 फ्रेन्ड्स कॉलोनी, ग्रामीण पुलिस लाईन बोरखेडा कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री अतीश सक्सेना, हेमन्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

दिनांक 29.09.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 79/2020 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी के पिता धन्ना आत्मज रामनाथ जी मीणा के खाते में ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद ज़िला कोटा में खसरा नम्बर 299 की 1.11 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सलंग्न है। उपरोक्त भूमि वादी के पिता धन्ना आत्मज रामनाथ की स्वअर्जित भूमि है जो उन्होंने पूर्व खातेदार गंगाराम आ० नारायणजी से पुराने ख0न0 146 की 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ने खरीद की थी।

जिसके बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 299 की 1.11 हेक्टर कायम किये गये। वादी के पिता धन्नालाल जी अपने जीवन काल तक उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे और वादी के पिता खातेदार धन्ना जी ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 25.04.2012 को आलेखित कर उसे उपपंजीयक प्रथम कोटा के यहां रजिस्टर्ड करवायी व उस पर धन्ना जी ने गवाहान के समक्ष व गवाहान ने धन्ना जी के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद वादी के पिता धन्ना जी का देहावसान हो गया और उनकी मृत्यु के बाद वादी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण ने मिली भगत कर वादी के पिता धन्ना जी का फोती इंतकाल नं0 404 वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 6 के नाम खुलवा लिया। जो गलत है। जिसके आधार पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो गलत है। इंतकाल की अपील विचाराधीन है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी की काश्त आदि की व्यवस्था करता है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त इंतकाल वादी के हितों के विपरीत व प्रभावशून्य है। वादी उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि को अपने स्वयं के खाते दर्ज कराने का अधिकारी है तथा वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार हो गया है तथा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का अधिकारी है। वादी के पिता द्वारा वादी के हक में आलेखित वसीयत के आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम खाते दर्ज कराने व प्रतिवादीगण का नाम हटाने को दिनांक 3–7–2020 को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार रहन बेचान करने की धमकी देते हुये वादी को उक्त भूमि से बैदखल करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धन्ना जी की वसीयत के अनुसार खातेदार घोषित करने से इन्कार करने पर उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज कराने व उनका नाम हटाने से इन्कार करते हुये दिनांक 3–7–2020 को वादी को उक्त भूमि से बैदखल करने व रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 7 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 7 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– (अ). कि ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 299 की 1.11 हेक्टर भूमि का खातेदार धन्ना जी की वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर व सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किया जावे। (ब)–कि प्रतिवादी नं0 7 को आदेश दिया जावे कि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवावे। (स). कि एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी गण वादी को उपरोक्त ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 299 की 1–11 हेक्टर भूमि से बेदखल नहीं करे ओर न वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे ओर न उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन व बेचान व खुर्द बुर्द ही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। वाद व्यय वादी को प्रतिवादीण से दिलाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2025 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2025/219

लट्टूलाल बनाम राजाराम

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है।योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत दिनांक 25.04.2012 के आधार पर वाद डिक्री करने में भारी त्रुटि की है जबकि वसीयत को जब तक दिवानी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही कर दे, वसीयत को प्रमाणित नही माना जा सकता। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के मध्य धन्ना लाल जी की मृत्यु पर खोला गया नामांतरकरण नम्बर–404 दिनांक 15.07.2016 की रेस्पोडेन्ट राजाराज द्वारा अपील करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा ने अपील संख्या 31/2019 में दिनांक 09.04.2025 को दिये गये निर्णय में माना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत 2024 (2) सीजे (सिविल) (राज0) 1061 के आधार पर वसीयत के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के पश्चात् ही वसीयत के आधार पर अधिकारी माना जा सकता है रेस्पोडेन्ट ने यह निर्णय के तथ्य को छुपा कर न्यायालय को धोखा दिया है तथा उक्त नजीर से स्पष्ट है कि वसीयत जब तक सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं हो जावे, तब तक वसीयत को मान्यता नहीं दी जा सकती। कानूनी रूप से वसीयत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है जब वसीयत के दोनो गवाह के न्यायालय के समक्ष बयान नही आलेखीत करवाये गये हो, अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत प्रमाणित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने पर भी सिर्फ अकेले रेस्पोडेन्ट के बयानो से प्रमाणित कर दिया जो निरस्तनीय है। जहां तक वसीयत को दिवानी न्यायालय से प्रमाणित नहीं करा लिया जाता वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारो को सूचित किये निर्णय किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आर.आर.टी. पेज 184, 2021(2) आर.आर.टी. पेज 1201, 2024(2) सी0जे0 राज. पेज 1061, 2024(1) आर.आर.टी. एच.सी. पेज 25 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उसके पिता धन्नालाल आत्मज रामनाथ की स्वअर्जित भूमि है जो उन्होने पूर्व खातेदार गंगाराम आत्मज नारायण से जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र खरीद की थी। वादग्रस्त आराजी की वसीयत धन्नालाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 25.4.2012 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी पर धन्नालाल खरीद दिनांक से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयतनामा दिनांक 25.04.2012 के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण अपीलांटगण ने धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी का इन्तकाल संख्या 404 वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण अपीलांटगण के नाम खुलवाकर वादग्रस्त आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली है। उक्त इन्तकाल संख्या 404 वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक अधिकारों के विरूद्ध प्रारंभतः शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त इन्तकाल संख्या 404 की अपील सक्षम न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की जा चुकी है। चूंकि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा वादग्रस्त आराजी की वसीयत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की जा चुकी है। अतः वर्तमान में अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने वाद को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। चूंकि वादग्रस्त आराजी धन्नालाल की पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर उसके द्वारा खरीदशुदा होने से स्वअर्जित है अतः उक्त वसीयत के पश्चात अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण अपीलांटगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद की खसरा सख्या 299 की रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने तथा प्रतिवादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की खरीदशुदा आराजी है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता खातेदार धन्ना द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत उनके जीवनकाल में दिनांक 25.04.2012 को आलेखित की गई तथा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के पश्चात काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 25.04.2012 एवं पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 15.7.1995 की फोटोप्रतियॉ पेश की है। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है अतः अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुने बिना ही अपीलांटगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी धन्ना पुत्र रामनाथ की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 15.07.2016 से मृतक धन्ना के स्थान पर लटूरलाल, राजाराम पुत्र, कान्ही बाई पुत्री तथा धन्ना के पुत्र रामकिशन के स्थान पर तेजपाल, खुशीराम पुत्र, सुनीता पुत्री, कंचन बाई पत्नी का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में विरासत से दर्ज होना प्रकट होता है। विवादित आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 404 के द्वारा दिनांक 15.07.2016 को ही दर्ज हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.09.2024 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6(अपीलांटगण) के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जिससे अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के हक अधिकारों को लेकर विधि के महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है अतः उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को निर्धारण प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है। चूंकि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलांट को बिना सुने ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के

विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 79/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें। उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें। कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा